न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :– 04/2024

1. कश्मीर कौर पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह जाति रायसिख निवासी 2 सी बड़ी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति रायसिख निवासी 2 सी बड़ी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. मनजीत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति रायसिख निवासी 2 सी बड़ी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. हरजीत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति रायसिख निवासी 2 सी बड़ी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. जगदेब सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति रायसिख निवासी 2 सी बड़ी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्य
6. स्वराज सिंह पुत्र माला सिंह जाति रायसिख निवासी 2 सी बड़ी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. प्रणपाल सिंह पुत्र श्री माला सिंह जाति रायसिख निवासी 2 सी बड़ी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. रणबीर सिंह पुत्र माला सिंह जाति रायसिख निवासी 2 सी बड़ी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

— अपीलार्थी

बनाम

1. प्रीतम कौर पुत्री श्री उतार सिंह उर्फ अवतार सिंह जाति रायसिख निवासी एन.ए.एस. नगर, अबोहर रोड़, गली नं.3, हाल आबाद पक्की
2. मलकीत कौर पुत्री उतार सिंह उर्फ अवतार सिंह जाति रायसिख निवासी एन.ए.एस. नगर, अबोहर रोड़, गली नं.3, हाल आबाद पक्की पक्की
3. सुरजीत कौर पुत्री श्री उतार सिंह उर्फ अवतार सिंह जाति रायसिख निवासी धांडी खुर्द जलालाबाद जिला फाजिल्का (पंजाब) हाल आबाद पक्की
4. सरपंच, ग्राम पंचायत पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

–रेस्पोडेंटस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता — अपीलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3

Gautam
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 28.10.2025

अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 21.08.2023 को ग्राम पंचायत पक्की द्वारा किया गया पूर्णतया विधि विरूद्व है जो अपास्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। लखा सिंह पुत्र श्री महंगा सिंह जाति रायसिख गावं पक्की तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 30 व 48 की कुल 37 बीघा भूमि आवंटन हुई। इस सम्बन्ध में लखा सिंह के नाम से जो आवंटन हुआ उसकी चित्र प्रतिलिपि संलग्न है। असल न्यायालय मांगेगी तो न्यायालय को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जावेगी। लखा सिंह पुत्र श्री मंहगा सिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि अपने दो लड़को लक्ष्मण सिंह व माला सिंह के नाम से एक वसीयत तहरीर की क्योंकि मूल अलाटी लखा सिंह ही था व वसीयत करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम था। इसलिए उसने अपने दोनो लड़को लक्ष्मण व माला सिंह पुत्र श्री लखा सिंह के नाम से तहरीर की गई वसीयत की चित्र प्रतिलिपि संलग्न है। अपीलान्टान, लक्ष्मण सिंह व माला सिंह वारिसान है और अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अपीलान्ट के हक में की गई वसीयत की प्रति पटवारी हल्का को दी थी और निवेदन किया था कि वसीयत के अनुसार इन्तकाल कर दे परन्तु वह टालमटोल करता रहा। वसीयत के आधार पर इन्तकाल न करके उसने अन्य व्यक्तियो के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट के पिता माला सिंह व लक्ष्मण सिंह के नाम से जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज है। वर्तमान में माला सिंह का देहान्त हो चुका है इसलिए माला सिंह के उत्तराधिकारी को वसीयत के आधार पर स्वतः ही उक्त कृषि भूमि निहित हो चुकी है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अपीलान्ट के वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं किया गया जिसमें बचनो बाई का नाम जमाबंदी रिकार्ड में नाम दर्ज था इसका रेस्पोडेन्ट द्वारा इस तथ्य को जानते हुए कि लखा सिंह द्वारा वसीयत की हुई है और बचनो बाई का नाम जो दर्ज किया गया है वो गलत है इस सम्बन्ध में अपीलान्टान ने माननीय चीफ सेटलमेन्ट श्रीगंगानगर के यहां भी अपील प्रस्तुत कर रखी है इस तथ्य को भी पटवारी हल्का जानता था और स्थगन आदेश भी यथास्थिति का हुआ था। अपीलान्टान को इस बात का ज्ञान नही था कि बचनो बाई के वारिसान ने सभी तथ्यो को छुपाते हुए अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 21.08.2023 को अपने नाम से करवा लिया है क्योंकि अपीलान्टान को वरवक्त इन्तकाल करते समय ग्राम पंचायत पक्की द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया था । सर्वप्रथम ज्ञान अपीलान्टान को 'गांव से 5 दिन पूर्व गावं में सुना की बचनो बाई के वारिसान ने अपने नाम से इन्तकाल करवा लिया है इस पर अपीलान्टान ग्राम पंचायत पक्की से मिले और नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 21. 08.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की इसलिए इस इन्तकाल के खिलाफ अपील प्रस्तुत की जा रही है क्योंकि अपीलान्टान को केवल मात्र 5 दिन पूर्व ही ज्ञान हुआ इसलिए सर्वप्रथम ज्ञान से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है अपनी प्रस्तुत करने में जो देरी है उसे कन्डोन किया जावे। अपीलान्टान को अब पूर्ण अन्देशा हो गया है कि रेस्पोडेन्ट अपीलकृत इन्तकाल से कब्जा प्राप्त करेगे और रहन बैय कर देगे। यदि ऐसा करने में वह कामयाब हो गये तो अपीलान्टान को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीएनजी 2020 राजस्थान पेज 180 में स्पष्ट किया है कि मुख्य आवंटी ही सक्षम अधिकारी होता है और अपनी अधिकारो का प्रयोग करते हुए अपनी कृषि भूमि का हस्तान्तरण कर सकता है अन्य किसी को कोई अधिकार नही होता है इस प्रकार बचनो बाई को सहवन से जो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया उसे

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कोई अधिकार प्राप्त नही थी वह पूर्ण रूप से शून्य है इसलिए अपीलकृत इन्तकाल बचनो बाई के वारिसान द्वारा अपने नाम से करवाया है वह पूर्णतया विधि विरुद्ध है जो अपास्त किये जाने योग्य है। मौके पर उक्त रकबा पर अपीलान्टान का कब्जा है तथा अपीलान्टान के द्वारा लगान आदि अदा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरपंच द्वारा दी गई प्रति भी संलग्न है। अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः अपील, अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 21.08.2023 निरस्त किया जावे और अपालान्टान के नाम से वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा उपस्थित आये हुए। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा रिकॉर्ड (कार्यवाही रजिस्टर) पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि लखा सिंह पुत्र श्री महंगा सिंह जाति रायसिख गावं पक्की तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 30 व 48 की कुल 37 बीघा भूमि आवंटन हुई। लखा सिंह पुत्र श्री मंहगा सिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि अपने दो लड़को लक्ष्मण सिंह व माला सिंह के नाम से एक वसीयत तहरीर की क्योंकि मूल अलाटी लखा सिंह ही था व वसीयत करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम था। इसलिए उसने अपने दोनो लड़को लक्ष्मण व माला सिंह पुत्र श्री लखा सिंह के नाम से तहरीर की गई वसीयत की चित्र प्रतिलिपि संलग्न है। वर्तमान में माला सिंह का देहान्त हो चुका है इसलिए माला सिंह के उत्तराधिकारी को वसीयत के आधार पर स्वतः ही उक्त कृषि भूमि निहित हो चुकी है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अपीलान्ट के वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं किया गया जिसमें बचनो बाई का नाम जमाबंदी रिकार्ड में नाम दर्ज था इसका रेस्पोडेन्ट द्वारा इस तथ्य को जानते हुए कि लखा सिंह द्वारा वसीयत की हुई है और बचनो बाई का नाम जो दर्ज किया गया है वो गलत है इस सम्बन्ध में अपीलान्टान ने माननीय चीफ सेटलमेन्ट श्रीगंगानगर के यहां भी अपील प्रस्तुत कर रखी है इस तथ्य को भी पटवारी हल्का जानता था और स्थगन आदेश भी यथास्थिति का हुआ था। अपीलान्टान को इस बात का ज्ञान नही था कि बचनो बाई के वारिसान ने सभी तथ्यो को छुपाते हुए अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 21.08.2023 को अपने नाम से करवा लिया अतः अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 21.08.2023 निरस्त किया जावे और अपालान्टान के नाम से वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जावे।वकील अपीलार्थ द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– RRD1992 pg. 611, [Citation: 2020(1) DNJ (Raj.) 180] पेश किये गये एवं वसीयतनामा दिनांक 01.11.1960 की फोटो प्रति, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.05.2025 की फोटो प्रति पेश की गई। **वकील रेस्पोडेंट की जवाब बहस यह रही कि** अपीलार्थीगण द्वारा जो वसीयत की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है वह वसीयत लखा सिंह पुत्र श्री मंहगा सिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि अपने दो लड़को लक्ष्मण सिंह व माला सिंह के नाम से तहरीर नहीं करवायी गई। जो वसीयत की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है वह कूटरचित वसीयत की फोटो प्रति है जिसकी सत्यता पूर्णतया शून्य है। लखासिंह के वारिसान के नाम जो विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ है बिल्कुल सही दर्ज किया गया है, एवं बचनो बाई के वारिसान के नाम से जो विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ वह भी बिल्कुल सही दर्ज हुआ है। अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही हासिल नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त अपील को निरस्त फरमाया जावे। वकील

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

रेस्पोडेंट द्वारा नकल सनद 3763 दिनाक 23.09.1991 की प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 3 सी बड़ी, पटवार हल्का पक्की, भू.अ.नि.क्षेत्र हिन्दुमलकोट खाता संख्या 142/72, जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 चक 3 सी बड़ी, पटवार हल्का पक्की, भू.अ.नि.क्षेत्र हिन्दुमलकोट खाता संख्या 7/47 पेश किये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं सरपंच ग्राम पंचायत पक्की पं. समिति श्रीगंगानगर द्वारा किये गये स्वीकृत प्रस्ताव दिनांक 21.08.2023 का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच ग्राम पंचायत पक्की पं. समिति श्रीगंगानगर द्वारा किये गये स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार रेस्पोडेंट के नाम विरासतन इंतकाल सही स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिंनाक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर (राज.)

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर